20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालयः– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.   /2017 निगरानी   III/निगरानी/सीधी/आर.सि./2017/2117

1. राममिलन पुत्र स्व. श्री रामदयाल
2. रामलगन पुत्र स्व. श्री रामदयाल निवासीगण ग्राम करूआरी तहसील व जिला सिंगरौली
3. आशीनखांन पुत्र जरार खां निवासी ग्राम नौढ़िया तहसील देवसर जिला सीधी म.प्र.
4. राहुल सिंह पुत्र कमलेश बहादुर सिंह
5. अजय कुमार पुत्र मुनिराज सिंह
   निवासीगण ग्राम मेंढ़ौली तहसील व जिला सिगंरौली म.प्र.

––– आवेदकगण

श्री एस.पी. चतुर्वेदी द्वारा आज दि. 10.07.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला सिधी

––– अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर महो. जिला सिधी(सिंगरौली) के प्र.क. 55/स्व.निग./1998–99 में पारित आदेश दिनांक 27.02.1999 के विरूद्ध जानकारी दिनांक से निगरानी अवधि अन्दर प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्यः–

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, भूमि सर्वे क्र. 25/3 रकवा 5.00 एकड़ भुमि के संबंध मे आवेदक क्र. 1 व 2 के पिता स्व. रामदयाल पुत्र रामसुन्दर वेसवार द्वारा निवासी ग्राम करूआरी तहसील व जिला सिंगरौली का कब्जा होने से कब्जे के आधार पर एक आवेदन पत्र नायव तहसीलदार सिगरौली के समक्ष व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रकरण क्रमाक 25/अ–19(4)/1991–1992 पर दर्ज किया जाकर विधिवत आपत्तीयां आहूत कर पटवारी से ...

रामिलन/शालन

(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक III/निग./सीधी/भू.रा./2017/2117

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावको के हस्ताक्षर
06/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 28/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 55/स्व.नि./1998-99 में पारित आदेश दिनांक 27-02-1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य 6/2/19	